आर. एल. सांखला,-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

और दूसरा,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. नहीं। 2002 का 15489

18 सितम्बर 2007

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—अनिवार्य सेवानिवृत्ति, एसीआर के आधार पर हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के एक सदस्य की 'अखंडता संदिग्ध' के रूप में दर्ज किया गया - इसे चुनौती - कोई आरोप नही |किसी के प्रति दुर्भावना - नियम अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुमति देते हैं, सत्यनिष्ठा के संबंध में एक भी प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर भी अधिकारी-याचिकाकर्ता को जनहित में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय न तो मनमाना है और न ही दुर्भावनापूर्ण है और नियमों के अनुरूप है-याचिका खारिज |

निर्णय, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में, एक न्यायिक अधिकारी को समय से पहले भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है | उसके विरुद्ध सत्यनिष्ठा के संबंध में एकल प्रतिकूल प्रविष्टि का आधार और याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त करने का फैसला सुनाया गया है। नियम किसी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुमति देते हैं , अधिकारी और याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के संबंध में निर्णय नियमानुसार सेवा से लिया गया है।

निर्णय, कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग है, संक्षेप में, व्यक्तिपरक और प्रशासनिक और एक प्रतिकूल का निर्माण प्रवेश दंड लगाने के बराबर नहीं है जिसकी आवश्यकता होगी जांच और सुनवाई का उचित अवसर देना संबंधित सरकारी कर्मचारी को. यह आगे उस रिकॉर्डिंग से तय हो गया है, यह आगे उस रिकॉर्डिंग से तय हो गया है,वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट व्यक्तिपरक संतुष्टि का विषय था,संबंधित अधिकारी की, इसकी सत्यता पर ध्यान नहीं दिया जा सकता , न्यायालय द्वारा पीड़ित व्यक्ति के लिए उचित उपाय दाखिल करना ,प्रतिकूल टिप्पणियों और याचिकाकर्ता के खिलाफ भी प्रतिनिधित्व, एक अभ्यावेदन दायर करने का विकल्प चुना जिसे भी खारिज कर दिया गया। जब तक मैं एक उच्च न्यायिक अधिकारी के मामले से निपटना, न्यायिक की प्रकृति सेवाएँ ऐसी हैं कि किसी अधिकारी का सेवा में बने रहना संदिग्ध है, सत्यनिष्ठा का अर्थ भ्रष्टाचार को अनदेखा करना होगा। इसके अलावा, कोई नियोक्ता नहीं | साबित हो चुके किसी कर्मचारी को अपने साथ बनाए रखने की जिम्मेदारी उस पर डाली जा सकती है| विशेषकर बेईमान आचरण में लिप्त होने पर भ्रष्ट होना, संस्था, जिसे 'न्याय का मंदिर' माना जाता है, जहां पारदर्शिता है और एक अधिकारी की ईमानदारी दांव पर है और हर कदम पर उसकी आलोचना की जाती है। इस तरह के मामले में सहानुभूति दिखाना संभवतः माफ़ी के रूप में समझा जाएगा, भ्रष्टाचार या संभवतः अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करने वाले के रूप में दर्ज किया जा सकता है |

(1) याचिकाकर्ता, जो अतिरिक्त जिला एवं के पद पर कार्यरत थे | 8 अगस्त, 2002 को सैशन जज, फ़रीदाबाद की रोटी चली गई | अनिवार्य आदेश पारित करके उन्हें जनहित में सेवानिवृत्ति घर वापस जाने के लिए कहा गया, ताकि उसकी रोटी फिर से चल सके और काम चल सके | वह हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से कार्यरत थे | भारतीय संविधान की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाय|| कार्य पर दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की और वर्ष 1999-2000 के लिए याचिकाकर्ता का आचरण;

की अस्वीकृति इन टिप्पणियों और साथ ही आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन दिनांक 8 अगस्त, 2002 (अनुलग्नक पी-16)।

(2) निस्तारण हेतु ध्यान दिये जाने योग्य अन्य तथ्य

इस याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को न्यायिक के सदस्य के रूप में 11 मई, 1981 को हरियाणा में सेवा प्रदान की अधीनस्थ न्यायिक सेवा. याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया गया नियुक्त किया गया था | दिसंबर, 1989 में अतिरिक्त वरिष्ठ उप-न्यायाधीश और उसके बाद, वह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निलंबित कर दिया गया, इस न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में 2 सितंबर 2000 को निरीक्षण न्यायाधीशवार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का विषय था | फ़रीदाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सूचित किया गया | जिनके विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन दाखिल किया गया, तत्कालीन निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना करते हुए 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 7009 दायर की, उनके निलंबन आदेश को रद्द करने हेतु आदेश जारी किया गया है| वस्तुतः बिना किसी आरोप पत्र के दो वर्ष के लिए निलंबन जांच और उच्च न्यायालय ने 6 मई, 2002 को एक आदेश पारित किया | रिट याचिका में निर्देश दिया गया है कि प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर उचित बोलने का आदेश एक पारित करना चाहिए| दिनांक 2 अप्रैल 2002. 24 जुलाई 2002 को निलंबन आदेश पारित हुआ, याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर याचिका निरस्त कर दी गई। याचिकाकर्ता ने दोबारा 30 जुलाई, 2002 को सेवा ज्वाइन कर लिया ,। मेमो दिनांक 25 जुलाई, 2002 था, याचिकाकर्ता को 31 जुलाई, 2002 को सूचित किया गया | जिससे उन्हें अवगत कराया गया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को यह दर्ज करते हुए खुशी हुई | उनकी वर्ष 1999-2000 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सत्यनिष्ठा संदिग्ध थी| हरियाणा सरकार पर इस न्यायालय की सिफ़ारिशों पर दिनांकित आक्षेपित आदेश पारित किया गया | 8 अगस्त, 2002 (अनुलग्नक पी-16) से याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो रहा है |

(3) इस याचिका का प्रतिवादियों ने विरोध किया। याचिका में उठाए गए दावों को उत्तरदाताओं ने खारिज कर दिया। हालाँकि, उत्तर के माध्यम से यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता दिनांक 24 जुलाई, 2002 के कार्यालय आदेश द्वारा सेवा में बहाल किया गया | 30 जुलाई, 2002 को कार्यभार ग्रहण किया। इस बीच, में

26 जुलाई 2002 को इस मामले पर माननीय न्यायाधीशों की बैठक हुई, याचिकाकर्ता को उम्र से अधिक समय तक सेवा में बनाए रखने के संबंध में 50 वर्षों पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि एक अनुशंसा हरियाणा सरकार से कहा जाए कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त कर दिया जाए | उसे तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर तुरंत सेवा प्रदान की जाएगी,नोटिस के बदले में क्योंकि ऐसा करना सार्वजनिक हित में होगा।

आगे बताया गया है कि उपरोक्त के अनुसार निर्णय के बाद हरियाणा सरकार को अपेक्षित सिफारिश की गई - इस न्यायालय के दिनांक 29 जुलाई, 2002 के पत्र द्वारा हरियाणा सरकार, दिनांक 8 अगस्त, 2002 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त करने के आदेश से हरियाणा के राज्यपाल को अवगत कराया | उसे संचार की तारीख से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा | अवधि के बदले तीन माह का वेतन एवं भत्ते का भुगतान नोटिस का. मूल आदेश की एक प्रति जिला एवं को भेजी गई थी | सत्र न्यायाधीश, फ़रीदाबाद को सेवा प्रभावित करने के लिए याचिकाकर्ता एवं जिला न्यायाधीश से प्राप्त कर अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया | उसकी पावती, आरोप त्याग रिपोर्ट और रसीद की प्रति हरियाणा सरकार आवश्यक गजट अधिसूचना जारी करने हेतु,वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जाए ताकि उसे भेजा जा सक। एवज में तीन माह के वेतन एवं भत्तों के भुगतान जिला न्यायाधीश से आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फ़रीदाबाद, -देखें पत्र दिनांक 13 अगस्त 2002 ने पावती भेज दी है |दिनांकित सेवानिवृत्ति आदेश प्राप्त होने के प्रतीक स्वरूप मूल रूप में 8 अगस्त, 2002 को हरियाणा सरकार एवं प्रभार से त्याग प्रतिवेदन दिनांक 10 अगस्त 2002 याचिकाकर्ता प्राप्त किया गय| | आगे यह निवेदन किया गया है कि जिला न्यायाधीश ने आगे कहा है | सूचित किया कि उनके कार्यालय के दलबीर

सिंह नाजिर को काम पर तैनात किया गया है | रुपये की राशि के ड्राफ्ट पर. याचिकाकर्ता को 60,621, लेकिन जैसा नाजिर द्वारा रिपोर्ट की गई, उन्होंने उक्त प्रारूप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है | इसे अब पंजीकृत के माध्यम से याचिकाकर्ता को भेज दिया गया है। हरियाणा सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है, 30 सितंबर, 2002 को याचिकाकर्ता सरकार से सेवानिवृत्त हो गया | सेवा शर्तों के अनुसार 10 अगस्त, 2002 (दोपहर के बाद) से प्रभावी हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 8 अगस्त, 2002 के अनुसार और अंत में प्रार्थना की गई कि याचिका खारिज कर दी जाए।

(4) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और सुना भी है, मामले के रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन किया।

(5) दोनों पक्षों का पूरा मामला इसी के इर्द-गिर्द घूमता है, आदेश दिनांक 8 अगस्त 2002 (परिशिष्ट पी-16) एवं आगमन क्रम में सही निष्कर्ष पर, उस क्रम को पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार चलता है:-

"जबकि माननीय पंजाब की सिफ़ारिश पर "जबकि माननीय पंजाब की सिफ़ारिश पर और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा यह निर्णय लिया गया है, हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्य राज्य सरकार श्री रतन लाई सांखला को सेवानिवृत्त करेगी |

2.अब, इसलिए, इसमें निहित प्रावधानों के संदर्भ में पंजाब सिविल सेवा नियम के नियम 3.26 का खंड (डी), खंड-I, भाग-I नियम 5.32 के खंड ए(सी) के साथ पढ़ा जाता है| पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-11, जैसा लागू हो, हरियाणा राज्य, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा श्री रतन लाई सांखला की सेवानिवृत्ति के आदेश, ए हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्य इसकी संचार तिथि से सेवा प्रभावी होगी | नोटिस की अवधि के बदले भत्ते उसे तीन महीने के वेतन का भुगतान करने का आदेश दें |

(एसडी.).

(ए.एन.माथुर),

मुख्य सचिव को

हरियाणा सरकार।"

दिनांक चंडीगढ़,

8 अगस्त, 2002

(6) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया, कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी कि याचिकाकर्ता ने उस पद के लिए अपनी उपयोगिता खो दी है जिस पद पर वह था। प्रस्तुत किया गया कि प्रासंगिक नियमों के तहत, नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित सरकारी कर्मचारी चालू है | उसकी अकर्मण्यता या संदिग्ध निष्ठा या निर्वहन करने में अक्षमता के कारण आधिकारिक

कर्तव्य या आधिकारिक कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन में अपनी उपयोगिता खो दी. हालाँकि, यह नियुक्ति को लेकर व्यक्तिपरक संतुष्टि है | अधिकार, फिर भी इसे गिनाए गए विभिन्न उपरोक्त कारकों पर आधारित होना चाहिए| नियम में ही. दूसरे शब्दों में, विवाद यह है कि व्यक्तिपरक संतुष्टि को उचित ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री रखें, व्यक्तिपरक संतुष्टि को उचित ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री रखें नियुक्ति प्राधिकारी जैसा कि नियम में परिकल्पित है। विद्वानों के अनुसार याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं थी | इसलिए, नियुक्ति प्राधिकारी की कथित व्यक्तिपरक संतुष्टि यह बिना किसी आधार के था और इसमें दिमाग का इस्तेमाल न करने को दर्शाया गया था। मेरे पास याचिकाकर्ता,के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये तर्क पर विचार किया, लेकिन इसके बाद मेरे द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से, मुझे लगता है कि वही मुझ पर अनुग्रह नहीं करता |

(7) यह स्थापित कानून है कि जिन मामलों में व्यक्तिपरक की आवश्यकता होती है, अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय भारत का संविधान आने के लिए सामग्री की पर्याप्तता में नहीं जा सकता | न्यायालय को केवल इससे संतुष्ट होना है, रिकॉर्ड पर सामग्री थी और संबंधित प्राधिकारी का निर्णय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर आधारित है। एक व्यक्तिपरक संतुष्टि भी हो सकती है | संबंधित की ओर से दुर्भावना के आधार पर चुनौती दी गई। सौभाग्य से, वर्तमान मामले में, कोई आरोप नहीं है | किसी के खिलाफ दुर्भावना नहीं है और न ही कोई तर्क सुझाया गया है, निर्णय लेने की प्रक्रिया इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी की ओर से दुर्भावना है।

(8) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विषय पर कानून निष्पक्ष है - अच्छी तरह से तय किया गया है और इसे विशेष मामले के तथ्यों पर लागू किया जाना चाहिए।

(9) बैकुण्ठ नाथ दास और अन्य बनाम मुख्य जिला में चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा और अन्य, (1) सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों की गणना की गई:

"(i) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सज़ा नहीं है। इसमें कोई कलंक या दुर्व्यवहार का कोई संकेत नहीं है।

(ii) गठन पर सरकार द्वारा आदेश पारित किया जाना है, राय है कि सेवानिवृत्त होना जनहित में है, सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि सरकारी सेवक अनिवार्य रूप से. आदेश पारित कर दिया गया है |

(iii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का संदर्भ में कोई स्थान नहीं है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश इसका यह अर्थ नहीं है, न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। जब हाई कोर्ट या यह कोर्ट इस मामले की जांच नहीं करेगा ,अपीलीय अदालत के रूप में, यदि वे हैं तो वे हस्तक्षेप कर सकते हैं| आदेश (ए) दुर्भावना से पारित किया गया है, या (बी) वह यह बिना किसी सबूत पर आधारित है, या (सी) कि यह मनमाना है, यह समझें कि कोई भी उचित व्यक्ति अपेक्षित कार्य नहीं करेगा | संक्षेप में दी गई सामग्री पर राय; यदि ऐसा पाया जाता है |

(iv) सरकार (या समीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो)। हो सकता है) सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करना होगा, अदालतें कुर्की के मामले में फैसला लेने से पहले के दौरानबाद के वर्षों में किसी प्रदर्शन के रिकॉर्ड को अधिक महत्व देना। रिकार्ड पर ऐसा विचार किया जाना स्वाभाविक है , गोपनीय अभिलेखों/चरित्रों में रोल, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रविष्टियाँ शामिल करें। यदि कोई सरकार इसके बावजूद नौकर को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, प्रतिकूल टिप्पणियाँ, ऐसी टिप्पणियाँ अपना प्रभाव खो देती हैं |

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश उत्तरदायी नहीं है ,यह दिखाने पर ही अदालत द्वारा रद्द कर दिया गया इसे पारित करने पर बिना किसी संवाद के प्रतिकूल टिप्पणियाँ भी की गईं। वह परिस्थिति अपने आप में ऐसा नहीं कर सकती।"

(10) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को पुन: प्रस्तुत किया गया , उपरोक्त का आम तौर पर न्यायालयों द्वारा पालन किया गया है। इस प्रकार, अब तक आक्षेपित आदेश, दिनांक 8 अगस्त, 2002 का संबंध केवल इसी से है | कहते हैं, "जबकि माननीय पंजाब की सिफ़ारिश पर और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, यह राज्य द्वारा निर्णय लिया गया है | श्री रतन लाई सांखला को सरकार सेवानिवृत्त करेगी, जनहित में हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस को सेवा से हटा दिया गया..." अनिवार्य सेवानिवृत्ति का ऐसा आदेश नहीं माना जाएगा इसका कोई कलंक नहीं है| अनिवार्य रूप से करने की शक्ति एक अधिकारी को सेवानिवृत्त करने का उद्देश्य उसकी कार्यकुशलता में सुधार करना हैं । जो अधिकारी कुशलता से काम नहीं कर पा रहे हैं । अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करें और सार्वजनिक सेवा के प्रति दायित्व बनें, संदिग्ध सत्यनिष्ठा, अक्षमता या अक्षमता की आवश्यकता के कारण सेवा में जारी नहीं रखा जाएगा | अक्सर कहा जाता है कि मृत लकड़ी याचिकाकर्ता ने पुरजोर तर्क दिया है कि निर्णय के संबंध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति समग्र मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए | इस स्थिति का सामना करते हुए, विद्वान परामर्शदाता याचिकाकर्ता ने पुरजोर तर्क दिया है कि निर्णय के संबंध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति समग्र मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए | अधिकारी की सेवा का संपूर्ण रिकॉर्ड, जबकि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को एकल प्रविष्टि के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, सेवा में याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, लेकिन यह विद्वान वकील का तर्क केवल इसलिए ध्यान देने योग्य है | अस्वीकृति के कारण, मेरे विचार से, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और मामले की परिस्थितियों के अनुसार, एक न्यायिक अधिकारी समय से पहले परिपक्व हो सकता है | सत्यनिष्ठा के संबंध में एक भी प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर सेवानिवृत्त कर दिया गया ,उनके खिलाफ और याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने का फैसला जनहित में अनिवार्य रूप से लिया गया है। मौजूदा मामले में, मुझे लगता है कि नियम किसी अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुमति देते हैं, याचिकाकर्ता को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के संबंध में निर्णय नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

(11) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत के कारण निलंबन के तहत उसे पद पर रखा गया था , लेकिन बाद में, निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया, उस शिकायत के आधार पर कोई जांच नहीं की गई। सीखा वकील इस हद तक सही है कि कोई शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ नियमों के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की गई | इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत हटा दी गई है। यह नहीं था, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करना आवश्यक समझा गया | हालाँकि, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन अन्यथा किया गया था। यह यह महसूस किया गया कि समय से पहले सेवानिवृत्त करना सार्वजनिक हित में होग|| फलस्वरूप, राज्य सरकार जिसके अनुसरण में आक्षेपित को सिफ़ारिश की गई। यह नियमों के तहत शक्ति का एक प्रामाणिक प्रयोग है। निर्णय न तो मनमाना है और न ही दुर्भावनापूर्ण है। दरअसल, ऐसे फैसले सेवा में दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक हैं। मेरे mihd के लिए, रिकॉर्डिंग वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट संक्षेप में, व्यक्तिपरक और है , प्रशासनिक एवं प्रतिकूल प्रविष्टि देना समकक्ष नहीं है | जुर्माना लगाने के लिए जांच की आवश्यकता होगी और को सुनवाई को उचित अवसर देना संबंधित सरकारी कर्मचारी. यह आगे उस रिकॉर्डिंग से तय हो गया है| वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का मामला व्यक्तिपरक था, न्यायालय द्वारा विचार किया जायेगा , उसकी सत्यता से संबंधित अधिकारी संतुष्ट नहीं हो सकता। पीई के लिए उचित उपाय अधिकारी की सेवा का संपूर्ण रिकॉर्ड, जबकि वर्तमान मामले में, व्यक्ति के लिए उचित उपाय प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ एक अभ्यावेदन दायर करने के लिए व्यथित हूं | मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता ने भी एक अभ्यावेदन दाखिल करने का विकल्प चुना,जिसे भी खारिज कर दिया गया,चूंकि मैं एक के मामले से निपट रहा हूं | उच्च न्यायिक अधिकारी, न्यायिक सेवाओं की प्रकृति इस प्रकार है, संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारी की सेवा में बने रहना, मतलब भ्रष्टाचार को माफ करना. इसके अलावा, किसी भी नियोक्ता पर दबाव नहीं डाला जा सकता | एक कर्मचारी को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी के साथ, जो सिद्ध हो चुका है, भ्रष्ट या बेईमान आचरण में लिप्त, विशेषकर वह संस्था, जिसे 'न्याय का मंदिर' माना जाता है | एक अधिकारी की पारदर्शिता और ईमानदारी दांव पर है और उसे दोषी ठहराया गया है | ऐसे मामले में सहानुभूति दिखाना संभवतः संभव होगा परोक्ष रूप से बेईमानी को बढ़ावा देना। इसे भ्रष्टाचार को अनदेखा करने के रूप में माना जाएगा या संभवत: इसे दर्ज भी किया जाएग। इसके अलावा, यह असंभव है, सकारात्मक साक्ष्य द्वारा किसी न्यायिक अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर संदेह करने का आधार सिद्ध करें |

वह व्यक्ति जिसे प्रदर्शन देखने का अवसर मिला, संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा अधिकारी और समग्र के संबंध में राय का गठन। इसके अलावा, निचला न्यायपालिका न्याय व्यवस्था और निराई का मुख्य केंद्र है, प्रशासन में न्यायिक प्रणाली से मृत लकड़ी को बाहर निकालना, ताकि आम जनता का विश्वास न उठे ,न्याय वितरण प्रणाली और मौजूदा मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता, कि याची की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रास्ता, गलत या अनुचित किसी भी प्रकार का हो।

(12) यह एक कष्टकारी निर्णय है, जिसे लेने की आवश्यकता है, न्याय व्यवस्था की गरिमा बनाए रखें और उसमें सुधार लाएं

(13) ऊपर जो चर्चा की गई है, उसके आलोक में मैं ऐसा नहीं करता दिनांक 8 तारीख के आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या अनौचित्य देखें, अगस्त, 2002 में याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप, रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका विफल हो गई है और इसे बिना किसी कारण के खारिज कर दिया गया है |

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित दनणणय वाि ी के सीदमत उपयोग के दिए है तादक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और दकसी अन्य उद्देश्य के दिए इसका उपयोग नहीीं दकया जा सकता है । सभी व ् यवहाररक और आदिकाररक उद्देश्यो के दिए दनणणय का अींग्रेजी सींस्करण प्रमादणक होगा और दनष्पाि न और कायाणन्वयन के उद्देश्य के दिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

कुरुक्षेत्र